संख्या-4/2016/822/30-2-2016-02(02)/2009

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्धक निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2016

विषय- उ0प्र0 परिवहन निगम के गठन के उपरान्त उ0प्र0 राजकीय रोडवेज के पेंशनेबुल पदों पर दिनांक 01.06.1972 से दिनांक 18.06.1981 तक नियुक्त कार्मिकों तथा उनके आश्रितों को राज्य कर्मचारियों की भॉति चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिवहन निगम के पत्र सं0-5016एफए/31-47एफए/2000, दिनांक 20.01.2014 व पत्र सं0-जी26एफए/15-47एफए/2000, दिनांक 14.07.2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0-1063/307-2-2013-2-2-14(14)/08, दिनांक 06.09.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के गठन दिनांक 01.06.1972 से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी सेवा नियमावली, 1981 के प्रख्यापन की तिथि 18.06.1981 के मध्य उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के पेंशनेबुल पदों पर नियुक्त एवं वर्तमान में सेवानिवृत्त कुल 1029 कार्मिक एवं उनके आश्रितों को तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के अधीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य की जाती है कि उक्त पर आने वाले समस्त व्यय-भार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्वयं अपने निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-232 दिनांक 05.07.2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव,

संख्या-4/2016/822(1)/30-2-2016-02(02)/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त सामान्य अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
2- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव

E:\G.P.Rai\Go